हिंदु जनजागृती समिती

कृण्वन्तो विश्वमार्यम् । (नोंदणी क्र.:१५४०/आय-६३४, १२.११.२००२) धर्मो रक्षति रक्षितः ।

संपर्क पत्ताः ८, जय श्रीसिध्दीविनायक को.ऑप.हौ.सो., नौपाडा, ठाणे ४०० ६०२, Web:www.hindujagruti.org, Email:contact@hindujagruti.org

॥ जयतु जयतु हिन्दुराष्ट्रम् ॥ दिनांक : ३०.१२.२०१४

प्रति,

माननीय संपादक / मुख्य संवाददाता,

प्रेस विज्ञप्ति !

पुणेमें चलचित्र 'पीके'के विरोधमें आंदोलन

हिन्दूद्रोही चलचित्र 'पीके'पर त्वरित प्रतिबन्ध लगानेकी हिन्दुत्वनिष्ठोंकी मांग

पुणे - राजकुमार हीरानीद्वारा निर्देशित हिन्दी चलचित्र 'पीके' १९ दिसम्बरको प्रदर्शित हुआ । उसमें हिन्दुओंके देवता, साधू-संत, मंदिर, पूजाविधिकी अत्यंत निम्न स्तरपर जाकर बदनामी की गई है । इसलिए देशभरके करोडों हिन्दू प्रचंड क्रोधित हुए हैं । हिन्दुओंकी धर्मभावनाओंकी ओर ध्यान दिया जाए, इसके लिए डेक्कनके गुडलक चौकमें धर्माभिमानियोंने चलचित्र 'पीके'की धर्मविरोधी शक्तियोंके विरोधमें आंदोलन किया । इस समय आग्रही मांग की गई कि चलचित्र 'पीके'पर त्वरित प्रतिबन्ध लगाया जाए तथा हिन्दुओंके तीव्र विरोधकी अनदेखीकर चलचित्रके आपत्तिजनक दृश्य न हटानेकी भूमिका लेनेवाले चलचित्र परिनिरीक्षण मंडलको त्वरित भंगकर उसकी पुनर्रचना की जाए ।

आंदोलनकर्ताओंने भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि इस चलचित्रके विरोधमें देशभरमें विविध हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनोंने आंदोलन, पुलिस थानेमें शिकायत करना, न्यायालयमें याचिका प्रविष्ट करना आदि माध्यमोंसे चलचित्रके विरोधमें रोष व्यक्त किया है । अनेक स्थानोंपर चलचित्रके फलक फाडकर निर्माता, निर्देशक और कलाकारोंके पुतले जलाए गए हैं । देशभरके हिन्दुओंने एवं अन्य धर्मियोंने भी कहा है कि चलचित्र 'पीके' हिन्दुओंकी धर्मभावनाओंको आहत करनेवाला है । उसपर प्रतिबन्ध लगाकर इस चलचित्रसे सम्बन्धित सभीको बंदी बनाना चाहिए । आज इस्लामके विरोधमें बोलते समय १०० बार विचार किया जाता है; परन्तु हिन्दुबहुल भारतमें हिन्दुओंकी धर्मभावनाओंका आदर नहीं किया जाता, यह लज्जास्पद बात है ।

इस आंदोलनके समय निम्नांकित मांगे की गईं ।

१. चलचित्रके निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, अभिनेत्री, अन्य कलाकार, कथा लेखक, वितरक तथा अन्य सर्व सम्बन्धितोंके विरोधमें हिन्दुओंकी धार्मिक भावनाएं आहत करनेके कारण भारतीय दंडविधानकी धारा १५३(अ), २९५(अ) एवं अन्य धाराओंके अन्तर्गत फौजदारी अपराध प्रविष्ट किए जाएं तथा निर्देशक, निर्माता एवं अभिनेताको तत्काल बंदी बनाया जाए, ऐसी लिखित शिकायत महाराष्ट्र पुलिस महासंचालक एवं मुख्यमंत्रीसे की गई है ।

२. चलचित्रमें दिखाए गए धार्मिक अनबन निर्माण करनेवाले संवाद एवं दृश्य आदि हटानेतक चलचित्रके प्रदर्शनपर राज्यमें तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाए ।

३. भ्रष्ट और हिन्दुद्रोही चलचित्र परिनिरीक्षण मंडल तत्काल भंग किया जाए ।

इस आंदोलनमें निम्न संगठन उपस्थित थे ।

शिववंदना महासंघ (वडगावशेरी), हिंदु स्वाभिमान प्रतिष्ठान,
सनातन संस्था, हिंदु जनजागृती समिती

इस आंदोलनमें निम्न पदाधिकारियोंने हिन्दुओंको संबोधित किया ।

१) अधिवक्ता देवदास शिंदे, सचिव, हिंदु स्वाभिमान प्रतिष्ठान
२) सौ. राजश्री खोल्लम, सनातन संस्था
३) श्री. पराग गोखले, हिंदु जनजागृती समिती

इस आंदोलनमें २५० से अधिक धर्माभिमानी उपस्थित थे ।

आज समितिकी ओरसे 'जूते मारो' आंदोलन होनेवाला था । इसकी लिखित अनुमति भी पुलिसने दी थी; आज सुबह अचानक पुलिसने सूचित किया कि जूते मारो आंदोलनके स्थानपर साधारण आंदोलन करें । समितिका कार्य वैधानिक मार्गका तथा पुलिसको सदैव सहकार्य करनेका होनेके कारण इस आंदोलनमें उस प्रकारका परिवर्तन किया गया है ।

आपका नम्र,

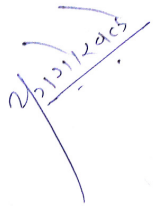

श्री. पराग गोखले
हिंदु जनजागृती समिती
संपर्क क्र.: ८९८३३३५५१७